न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./43/2019/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. खेताराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी उंचावड़ा(काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.शेराराम पुत्र जेठाराम का.मु. 1/क रामाराम पुत्र शेराराम 1/ख हुकमाराम पुत्र शेराराम 1/ग लिखमाराम पुत्र शेराराम 1/घ ओम प्रकाश पुत्र शेराराम 1/ड़ श्रीमती सारों पत्नी शेराराम रेस्पोडेंट संख्या 1/घ ओम प्रकाश नाबालिग जरिये कु0 वलिया माता रेस्पोडेंट संख्या 1/ड़ श्रीमती सारो 6.गोमाराम पुत्र जुगताराम 7.बांकाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी उंचावड़ा(काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर। 8.प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा शिव 9.प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 10.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2017 बअनवान शेराराम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सोहनलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 05.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 के कायम मुकाम ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश कर अपने भतीजो को बतौर प्रतिवादी बनाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 490/44 जो मूल खसरा संख्या 44 रकबा 53.11 बीघा में से शेराराम ने अपने घर तक जाने का रास्ता चाहा था जो रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने न देकर अपीलाधीन आदेश में रास्ता खसरा संख्या 44 व खसरा संख्या 489/44 के मध्य में से रास्ता की भूमि लाल डांट के साथ प्रस्तावित करने के आदेश दिये है जो विधिअनुकूल न होकर प्राकृतिक न्याय के विपरित पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 के कायम मुकाम ने अपीलांट की भूमि से रास्ता कभी चाहा ही नहीं है जब प्रार्थना–पत्र के ऑपरेटिव पैरा में ही उतरदाता संख्या 03 व 04 के संयुक्त खातेदारी भूमि से ही रास्ता चाहा गया है उससे हट कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जहां अपीलांट के हरे पेड़ खड़े थे उस भूमि में से रास्ता देने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 के कायम मुकाम ने अपीलांट की भूमि से रास्ता कभी चाहा ही नहीं है जब प्रार्थना–पत्र के ऑपरेटिव पैरा में ही उतरदाता संख्या 03 व 04 के संयुक्त खातेदारी भूमि से ही रास्ता चाहा गया है उससे हट कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जहां अपीलांट के हरे पेड़ खड़े थे उस भूमि में से रास्ता देने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा मौके पर हरे पेड़ खड़े है। अपीलाधीन आदेश जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है उसे पटवारी द्वारा तैयार की गई तहसीलदार मौके पर नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा रास्ते के लिए जो हस्तगत आवेदन पेश किया गया है उसमें अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 489/44 में से रास्ता नहीं

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चाहा गया है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 44 में से रास्ता चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय की बहस में मैने चाहे गये रास्ते का ही निवेदन किया है। हमारे लिए खसरा संख्या 44 दिया गया 13 बिस्वा रास्ता ही आने–जाने हेतु पर्याप्त है। अतः खसरा संख्या 44 में दिये रास्ते को यथावत रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 के कायम मुकाम ने अपीलांट की भूमि से रास्ता कभी चाहा ही नहीं है जब प्रार्थना–पत्र के ऑपरेटिव पैरा में ही उतरदाता संख्या 03 व 04 के संयुक्त खातेदारी भूमि से ही रास्ता चाहा गया है उससे हट कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जहां अपीलांट के हरे पेड़ खड़े थे उस भूमि में से रास्ता देने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट की अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस सुनने एवं पत्रावली का गंम्भीरता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन, विवेचन, मनन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया फिर भी उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकलाने के आदेश पारित किये गये जबकि सुनवाई का मौका दिया जाना न्यायसंगत था। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित पिड़ित एवं हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए न्यायहित में अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अपीलांट की अपील को तकनीकी एतराजों पर खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है।

इस कारण अपीलांट अपीलाधीन आदेश से सीधा प्रभावित/हितबद्ध या पीड़त व्यक्ति है लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट/प्रार्थी को दिनांक 31.07.2019 को हल्का पटवारी द्वारा फसल बीमा करते वक्त अपीलकर्ता खातेदार को दी गई जिस पर अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय पहुंचा और सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 02.08.2019 को नकल मांगी जो दिनांक 05.08.2019 को अपीलांट को नकले प्रदान की गई तब ही उसे अपीलाधीन आदेश का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

अपीलांट अधिवक्ता को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। इसलिए न्यायहित में अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा पेश रास्ते के आवेदन में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा नहीं अपीलांट के खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि "प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता के संबंध में चिपकते दूसरे खेत में बराबर–बराबर भूमि रास्ते हेतु लेने के लिए खसरा संख्या 489/44 में से 0.13 बीघा भूमि रास्ते में कटाण करनी पड़ेगी लेकिन मौके पर 11 हरे पेड़ खड़े है जिसकी पूर्व कटाई के बाद रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दोनो खेतों की माठ का सही निर्धारण नहीं हो पाया है जो किस खेत में हो सकते है"। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में आवेदक द्वारा जिस खेत में से रास्ता चाहा गया था उससे बाहर जाते हुए अन्य खातेदार के खेत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में से बिना सुनवाई का मौका दिये रास्ता दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2017 बअनवान शेराराम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तहसीलदार स्वयं से अपनी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवा कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मांग अनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

05/2/20

(नाथूसिंह सारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner